

2. The restructuring of the grades and scales of pay of the Service required appropriate amendments to the provisions contained in the Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli Civil Services Rules, 1996. Further, various provisions of the said rules required amendment to keep in line with the Government decisions contained in Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training OM No.F.22011/5/86-Estt(D) dated 10.3.1989, OM No.22011/5/86-Estt(D) dated 10.4.1989, OM No.AB-14017/12/88-Estt(RR) dated 25th March, 1996, OM No.AB-14017/2/97-(RR) dated 25.5.1998 and Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

3. It is certified that none will be adversely affected by retrospective effect being given to the introduction of restructured grades vide rule 3.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2003

सा.का.नि. 635(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस सेवा नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 है ।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) में यथाउपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं --- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) “प्रशासन” से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की बाबत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार और (i) अंदमान और निकोबार द्वीप, (ii) लक्षद्वीप, (iii) दमण और दीव तथा (iv) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है ;

(ख) “प्रशासक” से यथास्थिति, (i) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, (ii) अंदमान और निकोबार द्वीप, (iii) लक्षद्वीप, (iv) दमण और दीव तथा (v) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ग) किसी ग्रेड के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से, केन्द्रीय पुलिस सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन उस ग्रेड में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) “नियत दिन” से इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख अभिप्रेत है ;

(ङ) किसी ग्रेड के संबंध में, “अनुमोदित सेवा” से निम्नलिखित वर्ष की 1 जुलाई से, उस ग्रेड में की गई नियमित सेवा की वह अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत वह अवधि या अवधियां भी हैं जिनके दौरान सेवा का कोई सदस्य उस ग्रेड में नियमित आधार पर पद धारण किए होता, यदि वह छुट्टी पर या अन्यथा ऐसे पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होता :-

(क) जो उस वर्ष का अनुवर्ती वर्ष है, जिसमें उस श्रेणी में सीधे नियुक्त किए गए अधिकारी की बाबत परीक्षा हुई थी ;

(ख) उस वर्ष की, जिसमें उस ग्रेड में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी की नियमित आधार पर भर्ती की गई थी ।

(च) “काडर” से नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट ग्रेडों के पद समूह अभिप्रेत हैं ;

(छ) “काडर नियंत्रक प्राधिकारी” से भारत सरकार का गृह मंत्रालय अभिप्रेत है ;

(ज) “आयोग” से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(झ) “विभागीय प्रोन्नति समिति” से अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट किसी ग्रेड में प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए गठित की गई समिति अभिप्रेत है ;

(ञ) “कर्तव्य पद” से अनुसूची 1 में सम्मिलित कोई पद अभिप्रेत है ;

(ट) “सरकार” से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(ठ) “ग्रेड” से नियम 3 में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से कोई ग्रेड अभिप्रेत है ;

(ड) “अनुसूची” से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ढ) “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” पदों के वही अर्थ हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में क्रमशः उनके हैं ;

(ण) “सेवा” स नियम 3 के अधीन गठित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस सेवा अभिप्रेत है ।

3. सेवा का गठन और उसका वर्गीकरण — (1) नियम 6 और नियम 7 के अधीन सेवा के लिए नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस सेवा के रूप में ज्ञात एक सेवा गठित की जाएगी ।

(2) सेवा में 1 जनवरी, 1996 से अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट चार ग्रेड सम्मिलित किए गए समझे जाएंगे और उसमें सम्मिलित भी होंगे ।

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 1, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 2 और चयन ग्रेड के पद केन्द्रीय पुलिस सेवा समूह “क” पद होंगे और प्रवेश श्रेणी के पद केन्द्रीय पुलिस सेवा समूह “ख” पद होंगे ।

4. ग्रेड, पद संख्या और उनका पुनर्विलोकन — (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और उनके वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं :

परंतु यह कि सेवा में स्वीकृत पद संख्या का 10% और 20% क्रमशः कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 1 और चयन ग्रेड के अकृत्यकारी ग्रेड होंगे और ये अनुसूची 1 के भाग आ और भाग इ में विनिर्दिष्ट पदों की अपनी-अपनी संख्या के भीतर प्रवर्तित होंगे :

परंतु यह और कि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 1 में पदों की संख्या 12000-16500 रु० के वेतनमान में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के कुल स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार —

(क) समय-समय पर विभिन्न ग्रेडों में कर्तव्य पदों में अस्थायी परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी ;

(ख) आयोग से परामर्श करके सेवा में ऐसे पद सम्मिलित कर सकेगी, जिन्हें प्रास्थिति, ग्रेड, वेतनमान और वृत्तिक विषय में सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य समझा जा सकता है या सेवा में पहले से ही सम्मिलित कर्तव्य पद को सेवा से निकाल सकेगी ; और

(ग) आयोग से परामर्श करके, उस पद पर जिसे सेवा के समुचित ग्रेड के कर्तव्य पद के रूप में सेवा में सम्मिलित कर लिया गया है, नियमित पदधारी नियुक्त कर सकेगी और उक्त पद या सदृश ग्रेड में उसके द्वारा की गई नियमित सेवा को हिसाब में लेते हुए उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी ।

(3) उप नियम (2) के खंड (ख) और खंड (ग) में किसी बात के होते हुए भी, यदि उस पद के, जिसे सेवा में के कांडर में सम्मिलित किया गया है, किसी नियमित पदधारी को उपनियम (2) के खंड (ग) के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो वह पद धारण करता रहेगा और इस प्रयोजन के लिए पद को ऐसे पदधारी द्वारा धारित किए जाने तक सेवा से निकाला गया समझा जाएगा। सेवा में सम्मिलित किए जाने के लिए ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

5. सेवा का सदस्य — (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :-

(क) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति ; और

(ख) नियम 7 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति ।

(2) उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य समझा जाएगा ।

(3) उप नियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा ।

6. सेवा का आरंभिक गठन — (1) दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में नियमित आधार पर कर्तव्य पद धारण कर रहे सभी विद्यमान अधिकारी अपने-अपने ग्रेडों में सेवा के सदस्य होंगे ।

(2) लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली प्रशासन के ऐसे सभी विद्यमान अधिकारी, जो नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं, जिन्हें सेवा के कांडर में सम्मिलित कर लिया गया है, इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व यथाविद्यमान अपने-अपने पदों और ग्रेडों में तब तक रहेंगे जब तक वे आयोग द्वारा अपनी उपयुक्तता के निर्धारण के पश्चात् सेवा के सदस्य नहीं हो जाते हैं । यदि वे उपयुक्त निर्धारित किए जाते हैं तब वे ऐसे ग्रेडों में अपनी नियमित नियुक्ति की तारीख (तारीखों) से उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे । यदि कोई अधिकारी सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसके द्वारा नियमित रूप से धारित कांडर में सम्मिलित किए गए पद को तब तक कांडर बाह्य पद समझा जाएगा जब तक वह सेवा में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता है या पद खाली नहीं कर देता है और उसके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उप नियम (1) और उप नियम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा की परिवीक्षा और प्रोन्नति, पुष्टि के लिए अर्हक सेवा और सेवा में पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी ।

(4) उस सीमा तक, जिस तक काडर नियंत्रक प्राधिकारी इस नियम के उपबंधों के अनुसार विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत नियमित पद संख्या भरने में समर्थ नहीं है, उसे नियम 7 और नियम 8 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा ।

7. सेवा का भावी अनुक्षण — (1) नियम 6 के अधीन आरंभिक गठन के पश्चात् अनुसूची 1 में निर्दिष्ट ग्रेडों में से किसी ग्रेड में रिक्तियां, इस नियम में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से भरी जाएंगी ।

(2) (क) प्रवेश ग्रेड में 50% पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा और शेष 50% को प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा ।

(ख) सीधी भर्ती कोटा में रिक्तियां आयोग द्वारा संचालित पुलिस सेवा परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी ।

(ग) प्रोन्नति कोटा में रिक्तियां ऐसे अधिकारियों में से चयन द्वारा भरी जाएंगी जो विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित अनुसूची 2 में वर्णित पदों को धारण कर रहे हैं ।

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 1, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 2 और चयन ग्रेड के ग्रेडों में सभी रिक्तियां अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा वाले उनके ठीक निम्नतर ग्रेड के अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी ।

(4) (क) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 2 में प्रोन्नति सरकार के अधीन इस स्तर के पदों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विहित न्यूनतम सीमा ग्रेड के अधीन रहते हुए “चयन” द्वारा की जाएगी ।

(ख) प्रवेश ग्रेड में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति सरकार के अधीन इस स्तर के पदों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विहित बेंच मार्क ग्रेड के अधीन रहते हुए “चयन” द्वारा की जाएगी ।

(ग) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 1 और चयन ग्रेड में प्रोन्नति उपयुक्त न पाये गये व्यक्ति को अस्वीकार करने के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी ।

(5) उप नियम (4) के अधीन प्रत्येक मामले में चयन विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा ।

(6) यदि सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त किसी अधिकारी पर उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है तो उसके ज्येष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा परंतु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्र सेवा, ऐसी अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी निम्नतर हो, कम न हो और जो अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ, जो ऐसी अर्हक या पात्र सेवा को पहले ही पूरी कर चुके हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों ।

टिप्पण -- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड या पद में अर्हक सेवा को पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी । यदि विभिन्न स्रोतों से आने वाले एक या अधिक अधिकारियों की निर्णायक तारीख एक ही है तो आयु में ज्येष्ठ अधिकारी को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान में रखा जाएगा ।

8. कर्तव्य पदों का प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना — (1) नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समिचीन है वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और आयोग से परामर्श करके किसी ग्रेड में किसी कर्तव्य पद को, समय-समय पर जारी किए गए सरकार के अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ऐसी अवधि के लिए भर सकेगी ।

(2) इन नियमों के अधीन सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता, अनुभव और पात्रता सेवा का विनिश्चय सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर आयोग से परामर्श करके किया जाएगा ।

9. ज्येष्ठता — (1) नियम 6 के अधीन सेवा के आरंभिक गठन के समय, सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता वह होगी, जो इन नियमों की प्रारंभ की तारीख को प्राप्त हो :

परंतु यदि किसी सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई है तो ज्येष्ठता वह होगी, जो ज्येष्ठता के निर्धारण को शासित करने वाले उन नियमों के आधार पर अवधारित की जाए, जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू थे ।

(2) आरंभिक गठन के पश्चात् सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

10. परीक्षा — (1) सेवा के प्रवेश ग्रेड में सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होगा :

परंतु नियंत्रक प्राधिकारी, सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा ।

(2) सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों की, परीक्षा या उसके बढ़ाये जाने की अवधि पूरी होने पर, यदि उसे सेवा में पुष्टि के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तत्समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार पुष्टि कर दी जाएगी ।

(3) यदि, यथास्थिति, परीक्षा की अवधि या उसके बढ़ाये जाने की किसी अवधि के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी सेवा में पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार, अधिकारी को, यथास्थिति, सेवा-मुक्त कर सकेगी या सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर उसे प्रतिवर्तित कर सकेगी ।

(4) सरकार द्वारा किसी अधिकारी से उसकी परीक्षा या उसके परीक्षा के समाधानप्रद रूप में समाप्त होने की शर्त के रूप में विस्तार की किसी अवधि के दौरान प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रमों को करने या ऐसी परीक्षा या परीक्षण (जिसके अंतर्गत हिन्दी की परीक्षा भी है) को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी, जिन्हें सरकार उचित समझे ।

(5) परीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में सदस्य सरकार द्वारा इस बाबत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों से शासित होंगे ।

11. सेवा में नियुक्ति — नियुक्ति अधिकारी द्वारा सेवा में सभी नियुक्तियों सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1 या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 2 या प्रवेश ग्रेड में की जाएंगी, न कि सेवा में सम्मिलित किसी विनिर्दिष्ट पद के लिए ।

12. तैनाती -- किसी प्रशासन को आबंटित सेवा के प्रत्येक सदस्य को, जब तक कि उसे किसी काडर-बाह्य पद पर नियुक्त न किया गया हो या वह लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण किसी कर्तव्य पद को धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, संबंधित प्रशासक द्वारा प्रशासन के अधीन किसी कर्तव्य पद पर तैनात किया जाएगा ।

13. सेवा के सदस्यों का आबंटन — सरकार, समय-समय पर नियम 12 के निबंधनों के अनुसार किसी प्रशासन को सेवा का सदस्य आबंटित करेगी ।

14. निरर्हता — ऐसा कोई व्यक्ति, —

(क) जिसने किसी ऐसी व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार, यदि इसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति को और विवाह को दूसरे पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

15. सेवा की अन्य शर्तें — सेवा के सदस्यों की, ऐसे विषयों के संबंध में, जिनके लिए इन नियमों ने कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, सेवा की शर्तें वे होंगी, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के अधिकारियों को लागू होती हैं ।

16. शिथिल करने की शक्ति — जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगी ।

17. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

18. निर्वचन — यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा ।

अनुसूची -1
(नियम 4 देखिए)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षदीप तथा दमण और दीप तथा दादरा और नागर हवेली सिविल सेवा के विभिन्न ग्रेडों में कर्तव्य के नाम संख्या और वेतनमान ।

भाग क	श्रेणी और सेवा की मंजूर पद संख्या	
(क)	सेवा के ग्रेड :	वेतनमान
1	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I(समूह (क))	14,300-400-1830 रुपए
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक - II (समूह (क))	12000-375-16500रुपए
3	चयन ग्रेड (समूह (क))	1000-325-15200रुपए
4.	प्रवेश ग्रेड समूह (ख)	(i)6,500-200-10,500रुपए (आरंभिक नियुक्ति पर) (ii)800-275-13500 रुपए (सतर्कता और सत्यनिष्ठा अनापत्ति के अधधीन 4 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी हो जाने पर

(ख)	मंजूर पद संख्या :	
1.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन के अधीन विनिर्दिष्ट पद	255
2.	अंदमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के अधीन विनिर्दिष्ट पद	10
3.	लक्षदीप प्रशासन के अधीन विनिर्दिष्ट पद	1
4.	दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली प्रशासन के अधीन विनिर्दिष्ट पद	2
5.	दादरा और नागर हवेली प्रशासन के अधीन विनिर्दिष्ट पद	1
6.	प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण रिजर्व	86
	योग	355

(ग)	रिजर्व	
1	269 का बारह प्रतिशत-प्रतिनियुक्ति रिजर्व	32
2	269 का दस प्रतिशत-छुट्टी रिजर्व	27
3	269 का दस प्रतिशत-प्रशिक्षण रिजर्व	27
	योग	86
भाग ख	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी I और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी II	
	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन के अधीन पद	
1	पुलिस अपर उपायुक्त (दिल्ली संशस्त्र पुलिस बटालियन)	10
2	पुलिस अपर उपायुक्त (जिला मुख्यालय)	9
3	पुलिस अपर उपायुक्त (अपराध और रेल)	2
4	उप प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय	1
5	पुलिस अपर उपायुक्त (पुलिस नियंत्रण कक्ष)	1
6	पुलिस अपर उपायुक्त (प्रोवीजन और लाइन्स)	1
7	पुलिस अपर उपायुक्त (इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन)	1
8	पुलिस अपर उपायुक्त (विशेष शाखा)	1
9	पुलिस अपर उपायुक्त (यातायात)	1
10	पुलिस अपर उपायुक्त (सतर्कता)	1
11	अपर पुलिस उपायुक्त (विशेष कार्य बल)	1
	योग	29
भाग ग	प्रवेश ग्रेड और चयन ग्रेड में पद	1
(क)	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन के अधीन पद	
	पुलिस सहायक आयुक्त	226
(ख)	अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन पद	
	पुलिस उप अधीक्षक	10
(ग)	लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन पद	
	पुलिस उप अधीक्षक	1

(घ)	दमण और दीव प्रशासन के अधीन पद	
	पुलिस प्रमुख, दमण और दीव	2
(ङ)	दादरा और नागर हवेली प्रशासन के अधीन पद	
	पुलिस प्रमुख, दादरा और नागर हवेली	1
	भाग ग- (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) का योग	240
	भाग ख और ग का योग	269
	प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण रिजर्व	86
	कुल योग	355

अनुसूची 2

(नियम 7 देखिए)

प्रवेश ग्रेड में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र पद/ग्रेड/सेवा

दिल्ली पुलिस, अंदमान और निकोबार द्वीप पुलिस, लक्षद्वीप पुलिस, दमण और दीव पुलिस तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस के निरीक्षक

अनुसूची-3 (नियम 7(3) देखें)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रोन्नति की पद्धति	प्रोन्नति के लिए पैत्रता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-	विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आयोग्य पर अस्वीकार करने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के क्रम में प्रोन्नति द्वारा ।	नियमित रूप से नियुक्त ऐसा प्रशासनिक ग्रेड-2 अधिकारी जिसकी न्यूनतम अनुमोदित सेवा अठारह वर्ष की हो, कनिष्ठ प्रशासनिक

			ग्रेड-1 में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होगा ।
2	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2	विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।	नियमित रूप से नियुक्त चयन ग्रेड अधिकारी जिसकी न्यूनतम अनुमोदित सेवा तेरह वर्ष की हो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2 में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे ।
3	चयन ग्रेड	विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के अयोग्य को अस्वीकार करने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के क्रम में प्रोन्नति द्वारा ।	नियमित रूप से नियुक्त प्रवेश ग्रेड अधिकारी जिसकी न्यूनतम अनुमोदित सेवा आठ वर्ष हो, चयन ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होगा ।

टिप्पण: प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी की पात्रता अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख उस वर्ष की 1 जनवरी होगी जिसमें रिक्ति उद्भूत हुई थी ।

अनुसूची 4
(नियम 7(2) और 7(5) देखिए)

क्र.सं.	ग्रेड	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना
1	2	3
(1)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1	(1)संघ लोक सेवा का अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष (ii)गृह मंत्रालय में संघ राज्यक्षेत्र प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव - सदस्य (iii)मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार द्वीप - सदस्य (iv) प्रधान सचिव/ सचिव (गृह) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र- सदस्य (v) पुलिस आयुक्त दिल्ली - सदस्य
2	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II	(1)संघ लोक सेवा का अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष (ii) गृह मंत्रालय में संघ राज्यक्षेत्र प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव - सदस्य (iii) मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह - सदस्य (iv) प्रधान सचिव/ सचिव (गृह) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र - सदस्य (v) पुलिस आयुक्त दिल्ली-- सदस्य
3.	चयन ग्रेड	(1)संघ लोक सेवा का अध्यक्ष या सदस्य -अध्यक्ष (ii)गृह मंत्रालय में संघ राज्यक्षेत्र प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव- सदस्य (iii) प्रधान सचिव/सचिव (गृह), दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - सदस्य (iv) पुलिस आयुक्त दिल्ली के कार्यालय में कार्मिक भार साधक पुलिस संयुक्त आयुक्त - सदस्य (v) पुलिस महानिरीक्षक, अंदमान और निकोबार द्वीप - सदस्य

स्पष्टीकारक ज्ञापन

दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस सेवा में तीन ग्रेड ये, अर्थात् ग्रेड II (2000-3500 रुपए), चयन ग्रेड (ग्रेड-1) (3000-4500 रुपए) और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (3700-5000 रुपए) ग्रेडों में और सेवा के वेतन ढांचे में सुधार लाने के लिए पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने कतिपय सिफारिशों की थी, जिन पर सरकार ने सम्यक् रूप से विचार किया था । सरकार ने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की प्रकृति सहित विभिन्न सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् भूतलक्षी प्रभात अर्थात् 1 जनवरी, 1996 से देने के लिए वेतन के निम्नलिखित ग्रेडों/वेतनमानों को अनुमोदित किया :-

(i)	प्रवेश ग्रेड (समूह 'ख') (आरंभिक नियुक्ति पर) 4 वर्ष की	6500-200-10,500 रुपए
(ii)	40वर्ष अनुमोदित सेवा (समूह 'ख') पूरी हो जाने पर	8000-275-13500 रुपए
(iii)	चयन ग्रेड (समूह 'क')	10,000-325-15200 रुपए
(iv)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2	12000-375-16500 रुपए
(v)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1(समूह 'क')	14300-400-18300 रुपए

2. सेवा के ग्रेडों और वेतनमानों की पुनर्संरचना के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस सेवा नियम, 1998 में अन्तर्विष्ट उपबंधों में समुचित संशोधन अपेक्षित थे और, उक्त नियमों के विभिन्न उपबंधों में, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, मंत्रालया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञापन सं. एफ-22011/5/86-स्था.(डी), तारीख 10.3.1989, का.ज्ञापन सं. 22011/5/86-स्था.(डी) तारीख 10.4.1989, का.ज्ञापन सं. एबी-14017/12/88-स्था.(आरआर), तारीख 25 मार्च, 1996, का. ज्ञापन सं. (एबी 14017/2/97(आरआर)), तारीख 25.5.1998 में अंतर्विष्ट सरकारी विनिश्चयों तथा संघ लोक सेवा आयोग(परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अनुसार लाने के लिए संशोधन अपेक्षित था ।

3. प्रमाणित किया जाता है कि नियम द्वारा पुनर्संख्यांकित ग्रेडों को आरंभ करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी भी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2003

G.S.R. 635(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service Rules, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003.

(2) Save as otherwise provided in sub-rule (2) of rule 3, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires:-
 - (a) “Administration” means the Government of National Capital Territory of Delhi in respect of the National Capital Territory of Delhi and the Union territory Administration in respect of the Union territories of (i) the Andaman and Nicobar Islands, (ii) Lakshadweep, (iii) Daman and Diu and (iv) Dadra and Nagar Haveli;
 - (b) “Administrator” means the administrator appointed under article 239 of the Constitution for the Union Territories of (i) the National Capital territory of Delhi, (ii) Andaman and Nicobar Islands, (iii) Lakshadweep, (iv) Daman and Diu and (v) Dadra and Nagar Haveli, as the case may be;
 - (c) “Appointing Authority”, in relation to any grade, means the authority empowered under the Central Civil Services

(Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 to make appointments to that grade;

- (d) "appointed day" means the date of publication of these rules in the Official Gazette;
- (e) "Approved Service", in relation to any grade, means the period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods during which a member of the Service could have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such posts, from the 1st day of July of the year –
 - (a) following the year in which the examination was held in respect of an officer appointed directly to that grade;
 - (b) for which the recruitment was made on regular basis in respect of an officer appointed to that grade by promotion;
- (f) "Cadre" means the group of posts in the grades as specified in rule 3;
- (g) "Cadre Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Home Affairs;
- (h) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (i) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted to consider promotion and confirmation in any grade as specified in Schedule IV;
- (j) "duty post" means any post included in Schedule I;
- (k) "Government" means the Government of India;
- (l) "Grade" means any of the grades specified in rule 3;
- (m) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (n) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them by clause (24) and clause (25) respectively of article 366 of the Constitution of India.
- (o) "Service" means the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service constituted under rule 3;

3. Composition of the Service and its classification.-

- (1) There shall be constituted a Service known as the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep,

Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7.

(2) The Service shall be deemed to have and have four grades as specified in Schedule I with effect from the 1st day of January, 1996.

(3) The posts in Junior Administrative Grade-1, Junior Administrative Grade-II and Selection Grade shall be Central Civil Services Group "A" posts and those in the Entry Grade shall be Central Civil Services Group "B" posts.

4. Grades, strength and their review.-

(1) The duty posts included in the various grades, their number and the scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I.

Provided that ten per cent and twenty per cent of the sanctioned strength of the posts in the Service shall be non functional grades of Junior Administrative Grade-I and Selection Grade respectively, and these shall be operated within the respective number of posts specified in Parts B and C of Schedule I:

Provided further that the number of posts in Junior Administrative Grade I shall not exceed the total number of sanctioned posts in the Junior Administrative Grade in the scale of pay of Rs.12,000-16,500.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1), the Government may,-

- (a) from time to time, make temporary additions or alterations to the duty posts in various grades;
- (b) in consultation with the Commission include in the Service such posts as are deemed to be equivalent to the posts included in the Service in status, grade, scale of pay and professional content or exclude from the Service a duty post already included in the Service; and
- (c) in consultation with the Commission appoint the regular incumbent of the post which has been included in the Service as a duty post to the appropriate grade of the Service and fix his seniority taking into account the regular service rendered by him in the said post or analogous grade.

(3) Notwithstanding anything contained in clauses (b) and (c) of sub-rule (2), in case any regular incumbent of the post which has been encadred in the Service is not found suitable for appointment to the Service under clause (c) of sub-rule (2), he shall continue to hold the post and for the purpose the post shall be treated to have been excluded

from the Service till such time it is held by such incumbent. The suitability of such persons for induction into the Service will be reviewed every year.

5. Member of the Service.-

(1) The following persons shall be the members of the Service:-

- (a) persons appointed to duty posts under rule 6; and
- (b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I from the date of such appointment.

6. Initial constitution of the Service.-

(1) All existing officers holding duty posts on regular basis in Junior Administrative Grade, Grade-I and Grade-II of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service shall be members of the Service in the respective grades.

(2) All the existing officers of Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Administrations holding posts on regular basis, which have been encadred in the Service, shall continue to be in their respective posts and grades as existed before commencement of these rules till they become members of the Service after their suitability has been assessed by the Commission. In case they are assessed suitable, they shall be deemed to have been appointed to the appropriate grade from the date(s) of their regular appointment to such grades. In case any officer is not found suitable for appointment to the Service, the encadred post held by him regularly will be treated as ex-cadre till he is inducted into the Service or vacates the post and his case shall be reviewed every year.

(3) The regular continuous service of officers referred to in sub-rules (1) and (2) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation and qualifying service for promotion, confirmation and pension in the Service.

(4) To the extent the Cadre Controlling Authority is not able to fill up the authorized regular strength of various grades in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rules 7 and 8.

7. Future maintenance of the Service.-

- (1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule I, after the initial constitution under rule 6, shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule.
- (2)
 - (a) Fifty per cent of the posts in Entry Grade shall be filled by direct recruitment and the remaining fifty per cent by promotion.
 - (b) The vacancies in the direct recruitment quota shall be filled on the basis of the Civil Services Examination conducted by the Commission.
 - (c) The vacancies in the promotion quota shall be filled by selection from amongst officers holding posts mentioned in Schedule II with three years regular service in the grade on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee.
- (3) All the vacancies in the grades of Junior Administrative Grade-I, Junior Administrative Grade-II and Selection Grade shall be filled by promotion from amongst the officers in the immediate respective lower grade with the minimum qualifying service as specified in Schedule III.
- (4)
 - (a) The promotion to the Junior Administrative Grade-II shall be made by "selection" subject to the bench mark grade prescribed by the Government from time to time for this level of posts under the Government.
 - (b) The induction by promotion to the Entry Grade shall be made by "selection" subject to the bench mark grade prescribed by the Government from time to time for this level of posts under the Government.
 - (c) The promotion to the Junior Administrative Grade-I and Selection Grade shall be made in the order of seniority subject to rejection of unfit.
- (5) The selection in each case under sub-rule(4) shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.
- (6) If any officer appointed to any grade in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher post, his senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

NOTE - The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the qualifying service in the respective grade or post. If the crucial date for one or more officers coming from different sources is one and the same, the officer senior in age will be placed higher in the eligibility list.

8. Filling of duty posts by deputation.— (1) Notwithstanding anything contained in rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill a duty post in any grade by transfer on deputation, including short term contract, for such period as per the instructions of the Government issued from time to time.

(2) The qualifications, experience and the eligibility service required for appointment to any grade of the Service under these rules shall be decided by the Government in consultation with the Commission on each occasion.

9. Seniority.-

(1) The relative seniority of members of the Service appointed to a grade of the Service, at the time of initial constitution of the Service under rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules;

Provided that if the seniority of any such member has not been specifically determined on the said date, the same shall be as determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

10. Probation.-

(1) Every officer on appointment to the Entry Grade of the Service either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years;

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, directly recruited officers shall, if considered fit for confirmation in the Service, be confirmed in terms of the orders of the Government for the time being in force.

- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for confirmation in the Service, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.
- (4) During the period of probation or any extension thereof, an officer may be required by Government to undergo such courses of training or to pass such examination or test (including examination in Hindi) as the Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.
- (5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.

11. Appointment to the Service.-

All appointments to the Service shall be made by the Appointing Authority to the Junior Administrative Grade-I or Junior Administrative Grade-II or Selection Grade or Entry Grade of the Service and not against any specific post included in the Service.

12. Posting.-

Every member of the Service allocated to an Administration shall, unless he is appointed to an ex-cadre post, or is otherwise not available for holding a duty post owing to the exigencies of the public service, be posted against a duty post under the Administration by the Administrator concerned.

13. Allocation of members of the Service.-

The Government shall, from time to time, allocate a member of the Service to any Administration for posting in terms of rule 12.

14. Disqualification.-

No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. Other conditions of service.-

The other conditions of the service of members of the Service in respect of matters for which no specific provision has been made in these rules shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of equivalent rank of the Central Government.

16. Power to relax:-

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. Saving.-

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

18. Interpretation.-

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

SCHEDULE I

[See rule 4(1)]

Name, number and scale of pay of duty posts in the grades of the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service.

Part A	Grades and sanctioned strength of the service	
(a)	Grades of the Service	Scales of pay
1.	Junior Administrative Grade I (Group A)	Rs.14,300-400-18,300
2.	Junior Administrative Grade II (Group A)	Rs.12,000-375-16,500
3.	Selection Grade (Group A)	Rs.10,000-325-15,200
4.	Entry Grade (Group B)	(i) Rs.6500-200-10,500 (on initial appointment) (ii) Rs.8,000-275-13,500 (on completion of four years approved service subject to vigilance and integrity clearance)

(b)	Sanctioned Strength	
1.	Specific posts under the Government of National Capital Territory of Delhi.	255
2.	Specific posts under the Andaman and Nicobar Islands Administration.	10
3.	Specific posts under the Lakshadweep Administration.	1
4.	Specific posts under the Daman and Diu Administration.	2
5.	Specific posts under the Dadra and Nagar Haveli Administration.	1
6.	Deputation, Leave and Training Reserves	86
	Total	355
(c)	Reserves	
1.	Deputation reserve at 12% of 269	32
2.	Leave reserve at 10% of 269	27
3.	Training reserve at 10% of 269	27
	Total	86
Part B	Posts in the Junior Administrative Grade I and Junior Administrative Grade II	
	Posts under the Government of National Capital Territory of Delhi	
(i)	Additional Deputy Commissioner of Police (Delhi Armed Police Battalion)	10
(ii)	Additional Deputy Commissioner of Police (District Headquarters)	9
(iii)	Additional Deputy Commissioner of Police (Crime and Railway)	2
(iv)	Vice-Principal, Police Training School	1
(v)	Additional Deputy Commissioner of Police (Police Control Room)	1
(vi)	Additional Deputy Commissioner of Police (Provision and Lines)	1
(vii)	Additional Deputy Commissioner of Police (I.G. International Airport)	1
(viii)	Additional Deputy Commissioner of Police (Special Branch)	1

(ix)	Additional Deputy Commissioner of Police (Traffic)	1
(x)	Additional Deputy Commissioner of Police (Vigilance)	1
(xi)	Additional Deputy Commissioner of Police (Special Task Force)	1
	Total	29
Part C	Posts in Entry Grade and Selection Grade	
(a)	Posts under the Government of National Capital Territory of Delhi.	
	Assistant Commissioner of Police	226
(b)	Posts under the Andaman and Nicobar Administration	
	Deputy Superintendent of Police	10
(c)	Posts under the Lakshadweep Administration	
	Deputy Superintendent of Police	1
(d)	Posts under the Daman and Diu Administration	
	Chiefs of Police, Daman and Diu	2
(e)	Posts under the Dadra and Nagar Haveli Administration	
	Chief of Police, Dadra and Nagar Haveli	1
	Total of (a), (b), (c), (d) and (e) of Part C	240
	Total of Parts B and C (29 + 240)	269
	Deputation, Leave and Training Reserves	86
	GRAND TOTAL	355

222965/03—9

SCHEDULE II*(See rule 7)***POST/GRADE/SERVICE ELIGIBLE FOR INDUCTION INTO ENTRY GRADE**

Inspector of Delhi Police, Andaman and Nicobar Islands Police, Lakshadweep Police, Daman and Diu Police and Dadra and Nagar Haveli Police.

SCHEDULE III*(See rule 7 (3))*

Sr. No	Grade	Method of promotion	Eligibility for Promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Junior Administrative Grade I	By promotion in the order of seniority subject to rejection of unfit on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.	A regularly appointed Junior Administrative Grade-II officer with a minimum of eighteen years approved service shall be eligible to be considered for promotion to the Junior Administrative Grade I.
2.	Junior Administrative Grade II	By promotion on selection on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.	A regularly appointed Selection Grade officer with a minimum of thirteen years approved service shall be eligible to be considered for promotion to the Junior Administrative Grade II.
3.	Selection Grade	By promotion in the order of seniority subject to rejection of unfit on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.	A regularly appointed Entry Grade officer with a minimum of eight years approved service shall be eligible to be considered for promotion to the Selection Grade.

NOTE: The crucial date for determining the eligibility of an officer for promotion shall be the 1st January of the year in which the vacancy has occurred

SCHEDULE IV
(See rule 7 (2) and (5))

Sl. No.	Grade		Composition of the Departmental Promotion Committee
I	2		3
(1)	Junior Administrative Grade- I	(i)	Chairman or Member of the Union Public Service Commission-Chairman.
		(ii)	Joint Secretary in charge of the Union Territories Division in the Ministry of Home Affairs – Member.
		(iii)	Chief Secretary, Andaman and Nicobar Islands – Member.
		(iv)	Principal Secretary / Secretary (Home), Government of the National Capital Territory of Delhi - Member.
		(v)	Commissioner of Police, Delhi – Member.
(2)	Junior Administrative Grade-II	(i)	Chairman or Member of the Union Public Service Commission-Chairman.
		(ii)	Joint Secretary in charge of the Union Territories Division in the Ministry of Home Affairs – Member
		(iii)	Chief Secretary, Andaman and Nicobar Islands – Member.
		(iv)	Principal Secretary / Secretary (Home), Government of the National Capital Territory of Delhi - Member.
		(v)	Commissioner of Police, Delhi - Member
(3)	Selection Grade	(i)	Chairman or Member of the Union Public Service Commission – Chairman.
		(ii)	Joint Secretary in charge of the Union Territories Division in the Ministry of Home Affairs – Member.
		(iii)	Principal Secretary / Secretary (Home), Government of the National Capital Territory of Delhi - Member.
		(iv)	Joint Commissioner of Police, in charge of personnel in the office of the Commissioner of Police, Delhi-Member.

(4)	Entry Grade (on initial appointment by promotion and confirmation of direct recruits).	(v)	Inspector General of Police, Andaman and Nicobar Islands Police-Member.
		(vi)	Development Commissioner, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli- Member.
		(i)	Joint Secretary in charge of the Union Territories Division in the Ministry of Home Affairs – Chairman.
		(ii)	Principal Secretary / Secretary(Home), Government of National Capital Territory of Delhi - Member.
		(iii)	Joint Commissioner of Police, in charge of personnel in the office of the Commissioner of Police, Delhi-Member.
		(iv)	Inspector General of Police, Andaman and Nicobar Islands Police-Member.
		(v)	Development Commissioner, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli- Member.

Note: The absence of a member, other than the Chairman, shall not invalidate the proceedings of the Departmental Promotion Committee if more than half the members, including the Chairman of the Committee, had attended its meeting(s).

[No. 14012/8/2000-UTS-II]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service had three grades, namely, Grade-II, (Rs.2000-3500/-) Selection Grade (Grade-I) (Rs.3000-4500/-) and Junior Administrative Grade (Rs.3700-5000/-). In order to improve upon the grade and pay structure of the Service, the Fifth Central Pay Commission had made certain recommendations to the Government which were duly considered by the Government. Taking into consideration various relevant factors including the nature of duties and responsibilities of the Service, the Government approved the following grades/scales of pay for the Service with effect from 1st January, 1996:-

- | | | |
|------|---|------------------------|
| (i) | Entry Grade (Group 'B')
(On initial appointment) | - Rs.6,500-200-10,500. |
| (ii) | On Completion of 4 years of
approved service (Group 'B') | - Rs.8,000-275-13,500. |

- | | | | |
|-------|---|---|-----------------------|
| (iii) | Selection Grade
(Group 'A') | - | Rs.10,000-325-15,200. |
| (iv) | Junior Administrative Grade II -
(Group 'A') | - | Rs.12,000-375-16,500. |
| (v) | Junior Administrative Grade I -
(Group 'A') | - | Rs.14,300-400-18,300. |

2. The restructuring of the grades and scales of pay of the Service required appropriate amendments to the provisions contained in the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service Rules, 1998. Further, various provisions of the said rules required amendment to keep in line with the Government decisions contained in Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training OM No.F.22011/5/86-Estt(D) dated 10.3.1989, OM No.22011/5/86-Estt(D) dated 10.4.1989, OM No.AB-14017/12/88-Estt(RR) dated 25th March, 1996, OM No.AB-14017/2/97-(RR) dated 25.5.1998 and the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

3. It is certified that none will be adversely affected by retrospective effect being given to the introduction of the restructured grades vide rule 3.